मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-1

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 (कार्तिक 30, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. राष्ट्रगीत

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के समूह गान से प्रारंभ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भागवत झा आजाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री वसंत साठे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डॉ. सुशील चंद्र वर्मा, पूर्व सासंद तथा सर्वश्री विभाष चन्द्र बैनर्जी, डालचंद जैन, देवेन्द्र सिंह, लालचंद मित्तल, पतिराज सिंह, कैलाश प्रसाद सोनकर, पूर्व सदस्यगण विधान सभा, श्री के.पी. तिवारी, पूर्व सचिव विधान सभा तथा विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह तथा जगन्नाथ सिंह, सदस्यगण ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। पूर्वाह्न 10.59 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.10 बजे पुनः समवेत हुई।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 72 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस पर वेट टैक्स संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक 656) पर श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने प्रदेश में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के पास भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाये जाने,
(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले के नईगढ़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास भवन का निर्माण अधूरा होने,
(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के विजयपुर स्थित ग्रामों में विद्युत खम्बे एवं तारें क्षतिग्रस्त होने,
(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी के करेरा में माइनर नहर का निर्माण करने,
(5) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने बिछिया के ग्रामों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का लाभ न मिलने,
(6) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम की जावरा तहसील में किसानों को बांध निर्माण का मुआवजा न मिलने,

(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ के महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण करने तथा

(8) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य ने इंदौर के जिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ न होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) पटल पर रखा।

6. जुलाई, 2011 सत्र के प्रश्नोत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2011 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. जुलाई, 2011 सत्र की नियम 267-क के अधीन सूचनाओं तथा उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2011 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गई सूचनाओं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 9 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है। अतः निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगेः-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अधिनियम क्रमांक एवं वर्ष
(1)	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2011
(2)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2011
(3)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2011
(4)	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2011
(5)	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क(संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2011
(6)	मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 29 सन् 2011
(7)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 30 सन् 2011
(8)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 31 सन् 2011
(9)	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 32 सन् 2011

9. ध्यानाकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने छतरपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा छत से एक युवक को धकेलने से मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इन्दौर शहर में अतिक्रमण से यातायात बाधित होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार,दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	विषय	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 45 सन् 2011)	30 मिनट
(2)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011)	30 मिनट
(3)	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011)	2 घण्टे
(4)	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011)	30 मिनट
(5)	वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	2 घण्टे
(6)	प्रदेश में खाद बीज की कमी, कालाबाजारी एवं नकली खाद-बीज व कीटनाशक की बिक्री संबंधी नियम 139 के अधीन सर्वश्री रामनिवास रावत एवं रामलखन सिंह, सदस्यगण की सूचना	1 घण्टा 30 मिनट
(7)	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.	1 घण्टा
(8)	मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 तथा तत्संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन एवं हिन्दी रूपांतरण	1 घण्टा
(9)	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 तथा तत्सम्बन्धी अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन.	1 घण्टा

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को किया जायगा एवं अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को किया जायेगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल

(3) श्रीमती नीता पटैरिया

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(6) श्री रामलखन सिंह

12. मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके पास नियम 143 के अंतर्गत मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव की एक सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है।

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने यह प्रस्ताव करने की अनुमति चाही गई कि -"यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यरत मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, सभा की समस्त संख्या में से दशांश सदस्यों से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होने से इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, अतः नियम 143 (3) के अधीन इस प्रस्ताव पर चर्चा दिनांक 28 व 29 नवम्बर, 2011 को कराई जाएगी।

अपराह्न 12.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 1, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 नवम्बर, 2011